सर्वोच्च न्यायालय ने दांपत्य विशेषाधिकार को प्रभावहीन किया

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस]

[सर्वोच्च न्यायालय] ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि **पति-पत्नी के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत तलाक की कार्यवाही सहित वैवाहिक विवादों में साक्ष्य** के रूप में स्वीकार्य है।

- इस निर्णय ने भारतीय कानून में **वैवाहिक विशेषाधिकार की व्याख्या को महत्त्वपूर्ण रूप** से प्रभावित किया है तथा [निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21)] और [निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार] के बीच संतुलन पर जोर दिया है।

दांपत्य विशेषाधिकार

- [भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872] की **धारा 122** के तहत संहिताबद्ध वैवाहिक विशेषाधिकार/दांपत्य विशेषाधिकार, विवाहित व्यक्तियों के बीच होने वाले संवादों की गोपनीयता की रक्षा करता है।
  - कानून एक पति या पत्नी को दूसरे के **खिलाफ गवाही देने या विवाह के दौरान किये गए किसी भी संवाद का खुलासा करने के लिये बाध्य नहीं करता,** जब तक कि दूसरे पति या पत्नी की सहमति न हो।
- हालाँकि यह पूर्ण नहीं है और कुछ **विशेष परिस्थितियों में छोड़ा जा सकता है, जैसे कि आपराधिक और तलाक** के मामलों में, जहाँ दावों के समर्थन में साक्ष्य, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण भी शामिल हो, प्रस्तुत किये जाते हैं।

गोपनीयता और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार

- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 की न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या यह मान्यता देती है कि **गोपनीयता कोई पूर्ण अधिकार नहीं हो सकती**, विशेषकर तब जब वह **वैवाहिक मामलों में न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया में बाधा डालती** है।
- न्यायालय ने **निजता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच संतुलन को** स्वीकार किया। उसने कहा कि गुप्त रिकॉर्डिंग निजता के अधिकारों का उल्लंघन करती है, लेकिन **निष्पक्ष सुनवाई के लिये ऐसे साक्ष्यों को स्वीकार करना आवश्यक** हो सकता है, खासकर जब तथ्यों का निर्धारण करना बेहद ज़रूरी हो।

और पढ़ें: [निजता के अधिकार], [नागरिक स्वतंत्रता में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-overrides-spousal-privilege-for-fair-trial